

# कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक-07532-232694

## {फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना}

क्रमांक 3678 / दो-21-4/2010/ग्रंथालय

मुरैना, दिनांक:-17.07.2019

18

जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना के कार्यालयीन एवं न्यायालयीन उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निम्नानुसार फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने हेतु प्रिंटिंग प्रेस प्रोपराइटरों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

स.क्र.	फॉर्म्स/पंजी का नाम	इण्डेण्ट नम्बर	छपवाने हेतु प्रस्तावित सामग्री की मात्रा
1.	आदेश पत्रिका 2	v-156/cjII	75000
2.	उज्र व सफाई मुलजिम (प्ली फॉर्म)	V-184/crjH	5000
3.	टेबल ऑफ कंटेट	II-146/cjE	15000
4.	साक्षी का समंस	v-121/crjE	50000
5.	जेल वारंट	v-153/crj0	5000
6.	लिस्ट ऑफ डाक्यूमेंट	II-195	5000
7.	गिरफ्तारी वारंट	V-137/crJ	100000
8.	<u>बोर्ड झयरी</u>	<u>II-33</u>	200
9.	<u>आवक जावक पंजी</u>	<u>II-34</u>	200
10.	<u>वालान बुक</u>	<u>V-4</u>	100
11.	<u>क्लासीफिकेशन रजिस्टर</u>	<u>II-50</u>	50

इच्छुक प्रिंटिंग प्रेस प्रोपराइटर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के कार्यालय अनुभाग से ई-टेंडर/निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्तकर दिनांक-26.07.2019 के सायंकाल 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में "जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना" के नाम से आवक-जावक शाखा में अथवा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना की ई-मेल आई.डी.क्रमांक-dcourtmor-mp@nic.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं को दिनांक-27.07.2019 को प्रातः 11:00 बजे विभागीय कय समिति द्वारा खोला जावेगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार कय समिति को होगा। **निविदा की शर्तें संलग्न हैं।**

प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग/  
षष्टम अपर जिला जज  
मुरैना(म0प्र0)

# कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक-07532-232694

## [फॉर्म एवं पंजी छपवाए जाने बाबत निविदा शर्तें]

1. सील बंद निविदाएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के नाम से प्रेषित की जाना चाहिए।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से फॉर्म एवं पंजी छापे जाने हेतु निविदा लिखा जाना चाहिए।
3. नियत समयावधि के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आदेशानुसार छापी गई सामग्री जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना के कक्ष तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
6. निविदा में प्रत्येक सामग्री के उत्पादक, कंपनी का नाम, साईज, नाप, तौल आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
7. प्रदाय की गई छपी हुई सामग्री निविदा में उल्लिखित गुणवत्ता की नहीं होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर वापस उठानी होगी तथा निविदा में उल्लिखित गुणवत्ता के अनुसार सामग्री क्रय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रदाय करनी होगी।
8. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2020 तक मान्य होंगी।
9. निविदाकर्ता वाणिज्यिक विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है, उसपर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।
10. सभी सामग्री के नमूने निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी शर्त के भंग होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. सभी सामग्री की दरें उस पर देय समस्त करों (जीएसटी) सहित दी जावें।

प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग /  
षष्ठम अपर जिला जज  
मुरैना(म0प्र0)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,  
नाम एवं पता:-

.....  
.....  
.....